कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1339 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 12 जनवरी, 2026

सेवा में,
उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 125(नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु MoRTH को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/31090/2017)

सन्दर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 112 / 2018 / एफ0सी0 दिनॉक 17–07–2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक–1658 / 12–1(2) दिनांक 20–12–2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.50 है0 अवनत वन भूमि (पूर्वी क्रांतेश्वर कक्ष सं.–11अ (6.00 हे0), पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (5.50 हे0) तथा पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (7.00हे0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, एवं 09.05.2008, तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी.;Pt2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 11558079.00 UTR No.- CNRBR52025101467727776 के माध्यम कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

	दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इसका एक प्रस्ताव के तहत 8.94 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
ख	विशेशज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी शपथ–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। **(संलग्न–2)**
3	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 1709 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 1709 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा किये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राश्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass/overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन किया जायेगा।
6	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनि चत किया कि वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
7	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
8	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation plan(SMCP) at the cost of user Agency, which should be based on the specific field requirements based on the acrtual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि WLMP की धनराशि रू0 13950000.00 एवं SMCP की धनराशि रू0 3432000.00 कुल 17382000.00 वन विभाग के पक्ष में UTR NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक–7)**
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो, के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेशित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**

10	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–2 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा एवं संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र में प्रमाण प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेशित किया जाएगा ।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा एवं संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र/प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत विभिन्न मदों की धनराशि वन विभाग के पक्ष में UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम कैम्पा कोष में निम्न प्रकार धनराशि जमा की गयी है :– मद — जमा धनराशि(रू0 में) क्षतिपूरक वृक्षारोपण — 10046185.00 एन0पी0वी0 — 11558079.00 डब्लू0एल0एम0पी0 — 13950000.00 एस0एम0सी0पी0 — 3432000.00 **कुल धनराशि** — **38986264.00** चालान की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
13	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11अ)**
(ख)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता हैं, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–2 अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। वचनबद्धता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्शो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणीयां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड /राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनौपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	परिपक्व वृक्षारोपण (nature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।
9	केन्द्र सरकार कि पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
10	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेशतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**
12	संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward Bearings अंकित हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनो ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–19)**
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
15	परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
17	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
18	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित भार्ते लागू होंगीं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
19	The user agency in cousultation with the state government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made our of eco-friendly material shall be user in the area including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable .	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।
20	The user agency shall assist the state government in conservation and preservation of	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।

	the flora and fauna of the area in aoordance with the plan prepared by the chief wildlife warden of the state,if applicable.	
21	The user agency shall ensure that because of this frioject ,on damage is caused to the wildlife available in the area , if applicable.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु उक्त शर्त लागू नहीं है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–25)**
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–26)**
24	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–27)**
25	उपरोक्त में से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 का अल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंर्तगत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–28)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या– 1339 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

कार्या0/प्रति0

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1658 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/12/.2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर– पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 125(नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु Morth को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0– 31090 / 2017)**

संदर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 112 / 2018 / एफ0सी0, दिनांक– 17.07.2025**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्रांक 2447 / 12-1 दिनांक–15.12.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न–~~यथोपरि~~। (3 प्रतियों में)

भवदीय

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी रा0 राजमार्ग
आ0 का0 करें।

प्र0 व0 सं0 / नो0
22/12/25

प्राप्ति सं0 1529
पत्रावली 121
दिनांक 22-12-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत

Email-dfo.champawat@rediffmail.com /Fax-(05965)230180

पत्रांक 2447 / 12-1 दिनांक,चम्पावत, 15.12.2025।

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषय :– **जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर –पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 125(नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MoRTH को प्रत्यावर्तन।**
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ:– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/112/2018/एफ0सी0, दिनांक 17.07.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण को भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 2116/चम्पा0बाईपास, दिनांक 11.12.2025 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र0सं0	अनुपालन आख्या की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
	(क)वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.50 हे0 अवनत वन भूमि (पूर्वी क्रांतेश्वर कक्ष सं. 11 अ(6.00हे0), पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (5.50हे0) तथा पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (7.00हे0)) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, एवं 09.05.2008, तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इसका एक प्रस्ताव के तहत 8.94 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 11558079.00 UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–2)**
3.	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गय दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–3)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 1709 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभावित 1709 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, वन विकास निगम द्वारा जो भी धनराशि प्रस्तावित की जाएगी वह धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विकास निगम के पक्ष में जमा कर दी जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–4)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass /overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी। मोटर मार्ग का निर्माण under pass /overpass, नहीं किया जाना हैं अतः यह विन्दु लागू नहीं है।
6.	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया कि वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–5)**
7.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–5अ)**
8.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation plan(SMCP) at the cost of user Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WLMP की धनराशि रू0 13950000.00 एवं SMCP की धनराशि रू0 3432000.00 कुल 17382000.00 UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक–6)**
9.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–7)**

10.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण ii का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–8)**
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा एवं संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र में प्रमाण प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा, इससे सम्बन्धिन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। एफ.आर.ए., 2006 से सम्बन्धित वांछित प्रपत्र भी संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–9)**
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम कैम्पा कोष में निम्न प्रकार धनराशि जमा की गयी है:– **मद** — **जमा धनराशि(रू0 में)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण — 10046185.00 एन0पी0वी0 — 11558079.00 डब्लू0एल0एम0पी0 — 13950000.00 एस0एम0सी0पी0 — 3432000.00 कुल धनराशि — 38986264.00 चालान की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक–10)**
13.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–10अ)**
ख.	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता हैं, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण– ii अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–11)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–12)**
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–12अ)**
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणीयां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड /राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।

6.	वैकल्पिक /प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनौपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।
9.	केन्द्र सरकार कि पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–13)**
10.	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–14)**
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–15)**
12.	संबंधित वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward Bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–15अ)**
13.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनो ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–15ब)**
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–16)**
15.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–17)**
16.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–18)**
17.	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–19)**
18.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगीं।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–20)**
19.	The user agency in cousultation with the state government shall create and maintain alternate habitat / home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made our of eco-friendly material shall be user in the area including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable .	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।

20.	The user agency shall assist the state government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in aoordance with the plan prepared by the chief wildlife warden of the state,if applicable.	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।
21.	The user agency shall ensure that because of this froject ,on damage is caused to the wildlife available in the area , if applicable.	उक्त शर्त लागू नहीं हैं।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–21)**
23.	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–22)**
24.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्याय्रधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–23)**
25.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 का अल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंर्तगत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त से सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–24)**

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2447 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 2447 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त प्रस्ताव को आप इस कार्यालय से तत्काल प्राप्त कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा पहुँचाने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

पत्रांक 2116 / -चम्पा० बाईपास
दिनांक 11 /12/2025

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत ।

विषय :- जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर -पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 125(नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MoRTH को प्रत्यावर्तन। (online proposal No-FP/UK/ROAD/31090/2017) की अनुपालन आख्या।

महोदय

उपरोक्त विषय में अनुरोध हैं कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0-बी/यू0सी0पी0/06/112/2018/एफ0सी के द्वारा जनपद चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास में पडनें वाले वन भूमि 8.94 है0 में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैं, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क0सं0	अनुपालन आख्या की शर्ते	अनुपालन आख्या
1.	प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क)वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.50 है0 अवनत वन भूमि (पूर्वी कांतेश्वर कक्ष सं. 11 अ(6.00है0), पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (5.50है0) तथा पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (7.00है0)) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित की गयी है, वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना हैं बिन्दु वन विभाग से सम्बधित है।
	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल फाईल, पूर्व में ही आनलाई वन भूमि प्रस्ताव में प्रस्ताव में अपलोड की गयी हैं।
2.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के wp(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, एवं 09.05.2008, तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम,	शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 11558079.00 भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है UTR. की छायाप्रति संलग्न हैं।(संलग्नक-01)

	2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इसका एक प्रस्ताव के तहत 8.94 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।	विशेषज्ञ समिति / माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा भविष्य में शुद्व वर्तमान मूल्य (N.P.V.) की दरों में वृद्वि की जाएगी तो नई दरों में N.P.V. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाएगा शपथ पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक-02)
3.	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	मननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाऐगा। (संलग्नक-03)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 1709 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभावित 1709 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, वन विकास निगम द्वारा जो भी धनराशि प्रस्तावित की जाएगी वह धनराशि भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वन विकास निगम के पक्ष में जमा कर दी जाएगी। (संलग्नक-04)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass /overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में किसी प्रकार के राष्ट्रीय वन्य जीव नहीं पाये जाने है, मुख्य वन्य जीव बोर्ड के निर्देशों का पालन किया जायेगा मोटर मार्ग का निमार्ण under pass /overpass, नहीं किया जाना हैं अतः यह विन्दु लागू नहीं है।
6.	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया कि वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलुवे के निस्ताण हेतु निम्न प्रकार भूमि चयनित की गयी हैं 1. आरक्षित भूमि में 0.200 हे0 2. वनपंचायत भूमि में 0.220 हे0 3. सिविल भूमि 0.120 हे0 कुल 0.540 हे0 प्रस्तावित भूमि में ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा उसके अतिरिक्त वन भूमि में मलुवा निस्तारण नहीं किया जायेगा प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक-05)
7.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	विन्दु सं0 06 के अनुसार (संलग्नक-05 A)
8.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation plan(SMCP) at the cost of user Agency which should be based on the specific field requirements based on the acrtual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative	वाइल्ड लाइफ की धनराशि रू0 13950000.00 एवं एस0एम0सी0पी0 की धनराशि रू0 3432000.00 कुल 17382000.00 वन विभाग के पक्ष में भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी है। (भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल धनराशि रू0 38986264. जमा की गयी है) (संलग्नक-06)

	financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	
9.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वृक्षों के पातन के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। (संलग्नक-07)
10.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण ii का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान निर्देशों का पालन किया जायेगा। (संलग्नक-08)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा एवं संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र में प्रमाण प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जाएगा।	पूर्व में वनभूमि प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 लगाया गया है। पुनः छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-09)
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितए जमा किए जाएंगे।	वन विभाग के पक्ष में निम्न प्रकार धनराशि जमा की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि 10046180.00 1.एन0पी0वी0 11558079.00 2.डब्लू0एल0एम0पी0 13950000.00 3 एस0एम0सी0पी0 3432000.00 उक्तानुसार कुल धनराशि 38986264.00 भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-10)
13.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन आख्या ऑनलाईन पोर्टल में आपलोड कर दि जाएगी। (संलग्नक 10अ)
ख.	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता हैं, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- ii अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक-11)
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल आरक्षित भूमि में चयन किया गया हैं। (संलग्नक-12)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित भूमि में चयन किया गया हैं बिन्दु वन विभाग से संबंधित हैं। (संलग्नक 12अ)

	लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणीयॉं प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	लागू नहीं हैं।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड /राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	लागू नहीं हैं।
6.	वैकल्पिक /प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनौपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	बिन्दु वन विभाग से संबंधित हैं।
7.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगे।	बिन्दु वन विभाग से संबंधित हैं।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 इस परियोजना में लागू नहीं है।
9.	केन्द्र सरकार कि पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक – 13)
10.	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक –14)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक –15)
12.	संबंधित वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward Bearings अंकित हो।	अनुपालन किया जाएगा। संलग्नक 15(A)
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनो ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	अनुपालन किया जाएगा। संलग्नक – 15(B)
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सडक के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक – 16)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक – 17)
16.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में	वन भूमि का उपयोग परियोजना के अतिरिक्त अन्य

	विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक –18)
17.	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक – 19)
18.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगीं।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक (20)
19.	The user agency in cousultation with the state government shall create and maintain alternate habitat / home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made our of eco-friendly material shall be user in the area including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable .	लागू नहीं।
20.	The user agency shall assist the state government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in aoordance with the plan prepared by the chief wildlife warden of the state,if applicable.	लागू नहीं ।
21.	The user agency shall ensure that because of this froject ,on damage is caused to the wildlife available in tl.e area , if applicable.	
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं मलुवे का निस्तारण चयनित डम्पिंग स्थलों पर डाला जायेगा। (संलग्नक – 21)
23.	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	उच्चाधिकारीयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक – 22)

24.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-23)
25.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंर्तगत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	उच्चाधिकारीयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-24)

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट।

पत्रांक दिनांक / /2025

प्रतिलिपि 1: मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी सडक परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि 2: अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0वृत्त खण्ड लो0नि0वि0 हलद्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 3:– सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट को उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट।

(संलग्नक-01)

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Beneficiary Bank	PFMS Transaction Id	PAO/DDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Email Status	Email Date	UTR No. (Bank Transaction Id)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pending		[illegible]

AE

अधिशासी अभियन्ता

ubin0903710@unionbankofindia.bank

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

AE

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड, लो०नि०वि०
लोहाघाट

(संलग्नक-02)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विशेपक्ष/माननीय स न्यायालय द्वारा भविष्य में शुद वर्तमान भूतय (N.P.V) की दरों में वृद्धि की जाएगी तो नई दरों में (N.P.V) की धनराशि वन विभाग पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-03)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायगा, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-05)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में प्रभावित 1709 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, वन विकास निगम द्वारा जो भी धनराशि प्रस्तावित की जाएगी वह धनराशि भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वन विकास निगम के पक्ष में जमा कर दी जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-05)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु आरक्षित भूमि 0.200 हे0, वन पंचायत भूमि में 0.220 हे0, सिविल भूमि 0.120 हे0 कुल 0.540 हे0 प्रस्तावित भूमि में ही उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन भूमि में मलवा का निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-05A)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक - 06)

Sl. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Authorized Bank	PFMS Transaction Id	PAO/DDO/DDC Sign & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Credit Reason	Credit Date	UTR No. (Bank Transaction ID)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Success	[illegible]	[illegible]		[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
...तौपि

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0896335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0896335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , apurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०खण्ड,लो०नि०वि०
लोहाघाट

(संलग्नक - 07)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु वृक्षों के पातन के पश्चात निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-08)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण के दौरान निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक – 09)

☎:- 05965-234076

E-mail :- [illegible]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण नें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण

विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक- 09)

1.6 ⑦

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे0 सिविल सोयम भूमि 3.720 हे0, वन पंचायत भूमि 3.480 हे0) अर्थात कुल 8.380 हे0 एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे0 कुल 8.940 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत की दिनांक 15-02-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत – अध्यक्ष
2– श्री मनोहर सिंह .... उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत – सदस्य
3– श्री [signature] .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत – सदस्य/सचिव
4– श्री [signature] .... बी0डी0सी0 क्षेत्र फुंगर .... – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि
'' **जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण**'' परियोजना हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में

(संलग्नक-10)

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Accredited Bank	Initiating Transaction Id	PAO/DDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Scroll Status	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Success	Initiated	Pending		[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड,लो०नि०वि०
लोहाघाट

(संलग्नक-10 अ)

E-mail - nhlohaghat@gmail.com ☎ - 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https:/Parivehnic.in) पर अपलोड की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक – 11)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण

विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-12)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल आरक्षित भूमि में चयन किया गया है। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-12ल)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक–13)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट पलान नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-14)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-15)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

उत्तराखण्ड शासन

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-15(A))

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में सम्बन्धित वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forword/Backword Bearing अंकित हो, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

—ने लजनक —15(B)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर central verge पर Strip Plantation करेगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-16)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-17)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण के परियोजना कार्य के निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण

विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-18)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com
☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में वनभूमि का उपयोग परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक – 19)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-20)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

उत्तराखण्ड शासन

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-21)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं मलुवे का निस्तारण चयनित डम्पिंग स्थलों पर डाला जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-22)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक - 23)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-24)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com ☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निमार्ण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निमार्ण उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।